CUTS International

10,000 किसान उत्पादक संगठनो (एफपीओ) का गठन एवं संवर्धन

योजना मार्गदर्शिका

कार्यान्वयन एजेंसी

NABARD

SFAC
लघु कृषक
कृषि व्यापार संघ

nafed
A Farmers' Cooperative

एनसीडीसी
NCDC

परियोजना का परिचय

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 2020 में 5 वर्षों के लिए पूरे भारत में 10,000 किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा देने और गठन के लिए एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना शुरू की है।

एफ.पी.ओ. को उपज समूहों में विकसित किया जाना है, जिसमें कृषि और बागवानी उत्पादों को बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने और सदस्यों के लिए बाजार पहुंच में सुधार के लिए बनाया जाता है। विशेषज्ञता और बेहतर प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ''एक जिला एक उत्पाद'' एवं एक ब्लॉक एक उत्पाद कलस्टर को बढ़ावा देना है।

इस केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत भारत सरकार से वित्त पोषण के साथ, एफ.पी.ओ. का गठन और संवर्धन कार्यान्वयन एजेंसियों (IAs) के माध्यम से किया जाना है। वर्तमान में एफ.पी.ओ. के गठन और प्रचार के लिए 09 कार्यान्वयन एजेंसियों (IAs) को अंतिम रूप दिया गया है। जैसे लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED), उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड़ (NERAMAC), तमिलनाडू–लघु कृषक कृषि–व्यापार संघ (TN-SFAC), लघु कृषक कृषि व्यापार संघ हरियाणा (SFACH), वाटरशेड विकास विभाग (WDD) – कर्नाटक और ग्रामीण मूल्य श्रृंखलाओं के विकास के लिए फाउंडेशन (FDRVC) – ग्रामीण विकास विभाग (एमओआरडी)।

कार्यान्वयन एजेंसियां (IAs) 5 साल की अवधि के लिए प्रत्येक FPO को समेकित, पंजीकृत और पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए कलस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (CBBOs) को शामिल करेगी। सीबीबीओ को क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा सूचीबद्ध और नियुक्त किया गया है। एफपीओ प्रमोशन से संबंन्धित सभी मुद्दों के लिए सीबीबीओ एक एंड टू एंड नॉलेज का प्लेटफॉर्म होगा।

राजस्थान में भरतपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले में एफपीओ के गठन और प्रचार के लिए एसएफएसी, नाबार्ड, एनसीडीसी और नेफेड द्वारा सीबीबीओ के रूप में 'कट्स' को सूचिबद्ध किया है।

किसान उत्पादक संघ – परिभाषा, पंजीयन एवं लाभ

किसानों के सामूहिकीकरण को किसान उत्पादक संगठन के रूप में जाना जाता है। एफपीओ किसानों को उनके छोटे आकार के खेतों के कारण आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। एफपीओ या किसी भी समूह से जुड़े सदस्य वित्तीय और गैर–वित्तीय आदानों, सेवाओं और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने के लिए सामूहिक ताकत और सौदेबाजी की शक्ति से लाभ उठा सकते हैं, खरीद लागत को कम कर सकते हैं, उच्च मूल्य वाले बाजारों का दोहन कर सकते हैं, और अधिक न्यायसंगत शर्तों पर निजी संस्थाओं के साथ साझेदारी से प्रवेश कर सकते हैं।

- एफपीओ को कंपनी अधिनियम, 2013 या सहकारी समिति अधिनियम, 2001 में पंजीकृत किया जा सकता है।
- एफपीओ बनाने के लिए न्यूनतम 300 किसानों की आवश्यकता है।
- FIG (किसान हित समूह) फॉर्मेशन के माध्यम से किसान एफपीओ में सदस्य बनेंगे।
- प्रत्येक सदस्य को एफपीओ शेयर खरीदकर कंपनी में इक्विटी डालनी होती है, एक किसान कंपनी के शेयर को अधिकतम 2000 रूपये तक खरीद सकता है।
- सदस्य किसानों को न्यूनतम कीमतों में इनपुट आपूर्ति जैसे– बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि की आपूर्ति मिलेगी।
- एफपीओ सदस्य किसानों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड सुविधा प्रदान करेगा।
- एफपीओ सरकार में कस्टम हायरिंग सेंटर, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और वेयर हाउस जैसी सुविधाओं का भी लाभ उठा सकता है।

- एफपीओ किसानों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं की जानकारी भी देगा।

एफपीओ को वित्तीय सहायता

- इस योजना के तहत सरकार एफपीओ को गठन के वर्ष में तीन साल तक के लिए अधिकतम 18 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इससे एफपीओ को परिचालन लागत के बारे में अधिक चिंता किए बिना अपना व्यवसाय संचालन शुरू करने में मदद मिलेगी।
- लागत छह किस्तों में हर छह महीने में एक किस्त में आएगी।
- किस्त में शामिल होगा– सीइओ और अकाउन्टेन्ट का वेतन, एफपीओ पंजीकरण लागत, कार्यालय का किराया और बैठक की लागत।
- एफपीओ को कार्यान्वयन एजेंसियों से एक बजट प्रदान किया जाएगा कि वे एक हिस्से पर कितना खर्च कर सकते हैं।
- 3 साल बाद एफपीओ इन सभी लागतों को अपने मुनाफे से वहन करेगा।

जिला निगरानी समिति

- कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी के लिए सरकार ने जिला निगरानी समिति (DMC) बनाई है।
- डीएमसी के सदस्यः
  जिला कलेक्टर/सीइओ, जिला परिषद् – अध्यक्ष
  डीडीएम नाबार्ड – सदस्य सचिव
  जिला स्तरीय अधिकारी (कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, विपणन, सहयोग) – सदस्य
  अग्रणी जिला प्रबन्धक (एलडीएम) – सदस्य
  CBBO, KVK, ATMA, स्थानीय उत्पादक संगठनों के विशेषज्ञ – सदस्य
- डीडीएम–नाबार्ड एफपीओ की प्रगति की निगरानी करेगा और इसे कलेक्टर के साथ साझा किया जाएगा।

एफपीओ के लिए इक्विटी अनुदान और क्रेडिट गारंटी योजनाएं

इक्विटी अनुदान

किसान सदस्यों को अपनी इक्विटी को सरकार से अनुदान के रूप में, मिलान इक्विटी अनुदान के रूप में पूरक किया जाएगा, इससे एफपीओ को अपने आधार को वित्तीय रूप से मजबूत करने में मदद मिलेगी।

एफपीओ के प्रति किसान को 2000 रूपये अधिकतम तक का मिलान अनुदान प्रदान किया जाएगा जो प्रति एफपीओ अधिकतम 15 लाख रूपये तय है।

एफपीओ को पहले आवेदन के 4 साल की अवधि के साथ अधिकतम तीन चरणों में इक्विटी अनुदान प्राप्त करने की अनुमति है।

इक्विटी अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड

- एफपीओ को कंपनी अधिनियम या सहकारी अधिनियम में कानूनी इकाई के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
- इसके कम से कम 50% शेयरधारक छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान होने चाहिए।
- कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक या दो महिलाएं होनी चाहिए।
- किसी एक सदस्य द्वारा अधिकतम एफपीओ की कुल इक्विटी के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इसकी एक विधिवत गठित प्रबन्धन समिति है जो एफपीओ के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार है।
- स्थायी राजस्व मॉडल के आधार पर अगले 18 महीनों के लिए व्यवसाय योजना और बजट की आवश्यकता है।

क्रेडिट गारंटी योजना

क्रेडिट गारंटी योजना, पात्र ऋणदाता संस्थान (ईएलआई) को क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जो किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान कर रहे हैं।

इस योजना का उद्देश्य ईएलआई को क्रेडिट गारंटी प्रदान करके और 2 करोड़ रूपये तक के उनके जोखिम को कवर करके सुरक्षा प्रदान करना है और उत्पादक कंपनियों को ईएलआई के माध्यम से क्रेडिट गारंटी प्रदन करके कोलेटरल मुक्त ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाना।

प्रति एफपीओ ऋण गारंटी कवर 2 करोड़ रूपये परियोजना ऋण तक सीमित होगा। ऋण गारंटी कवर 1 करोड़ रूपये तक के परियोजना ऋण के मामले में 85% ऋण योग्य परियोजना ऋण के साथ 85 लाख रूपये तक सीमित होगा। जबकि 1 करोड़ रूपये से अधिक और 2 करोड़ रूपये तक के परियोजना ऋण के मामले में ऋण गारंटी कवर 1.50 करोड़ की अधिकतम सीमा के साथ ऋण योग्य परियोजना का 75% होगा, तथापि 2 करोड़ रूपये के बैंक परियोजना ऋण के अलावा परियोजना ऋण के लिए ऋण गारंटी कवर केवल अधिकतम 2 करोड़ रूपये तक सीमित होगा।

किसान उत्पादक संगठन के निदेशक मण्डल की भूमिका

किसान उत्पादक संगठन के सफल संचालन में निदेशक मण्डल की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। निदेशकों के ऊर्जावान व्यवहार कृषि में नए तरीकों को ग्रहण करने की अनुकुलता, बाजारोन्मुखी दक्षता तथा नेतृत्व करने की क्षमता कम्पनी की सफलता का आधार बनती है।

एक अच्छे और कुशल किसान उत्पादक कम्पनी के निर्माण में निदेशक मण्डल की भूमिकाएं निम्न प्रकार वर्गीकृत की जा सकती है।

1. **<u>व्यवहारिक कौशल</u>** – निदेशक व्यवहारिक कौशल विकसित कर एफपीओ की मजबूत नीव का निर्माण कर सकती है। सभी निदेशक निम्न व्यवहारिक कोशल को स्थापित करने के प्रयास करें–
   - 1.1 परस्पर समन्वय – सभी निदेशक एकजुटता का प्रदर्शन करें तथा परस्पर समन्यव स्थापित करें जिससे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सुविधा हो।
   - 1.2 संवाद – सभी निदेशक निरन्तर परस्पर संवाद बनाए रखे जिससे ऊर्जा के स्तर में कमी ना हो।
   - 1.3 पारदर्शिता – पारदर्शी संरचना एफपीओ को मजबुत बनाने की महत्वपूर्ण क्रिया है। पारदर्शिता विश्वास की जनक है और विश्वास हितधारकों तथा सदस्यों को आपस में जोडे रखने हेतु कडी का काम करता है।
   - 1.4 क्षमता संवर्धन – एफपीओ के सफल संचालन हेतु आवश्यक ज्ञान, साधन–संसाधन, सुविधाओं तथा योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर अपनी क्षमता संवर्धन कर सकते है।
   - 1.5 नेतृत्व दक्षता – निदेशक मण्डल की नेतृत्व करने की दक्षता एफपीओ का मजबुत ढांचा तैयार करने में सहायक होती है। कुशल नेतृत्व एफपीओ के सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है।

2. **<u>प्रशासनिक जिम्मेदारियां</u>** –
   1. अपने क्षेत्र में एफपीओ निर्माण से होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को एफपीओ से जोडना।
   2. पदाधिकारियों और योजनाएं बनाकर क्रियान्वित करना।
   3. नीतियां और योजनाएं बनाकर क्रियान्वित करना।
   4. कार्यकारी समितियों या उपसमितियों का गठन कर सदस्यों को लाभान्वित करना।
   5. कर्मचारियों कि नियुक्ति कर उन्हें सहयोग प्रदान करना साथ ही उनके प्रदर्शन की समीक्षा करना।
   6. कार्य की प्रगति तथा व्यापार की नियमित समीक्षा करना, रणनीति बनाना।

7. एक लाभजनक या मुनाफे वाली एफपीओ का निर्माण करने हेतु सभी आवश्यक निर्णय लेना।
8. सरकारी योजनाओं में प्रस्तावित अनुदानों को समझकर लाभान्वित होने का प्रयास कर एफपीओ के व्यापार को गति देना।

3. **वित्त सम्बन्धी जिम्मेदारियां** –
   1. एफपीओ के सदस्यों से शेयर राशि एकत्रित करना।
   2. एफपीओ की चल एवं अचल सम्पत्ति की सुरक्षा।
   3. बैंक खातों का रखरखाव करना।
   4. लेखा पुस्तकों एवं बही खातों का रखरखाव करना।
   5. लाभांश वितरण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करना।
   6. नफा नुकसान का प्रबन्धन करना।

4. **विधि (कानून) सम्बन्धी जिम्मेदारियां** –
   1. रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज तथा जिला रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित सभी अनुपालनों की पालना सुनिश्चत करना।
   2. समय पर खातों की ऑडिट करवाना।
   3. वार्षिक रिटर्न फाइल करना।
   4. चुनाव आयोजित करना।
   5. उपनियमों में संशोधन
   6. साधारण सभा और निदेशक मण्डल की बैठके आयोजित करना

किसान उत्पादक संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ) की भूमिका

एक किसान उत्पादक संगठन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी संचालक मंडल द्वारा नियुक्त जिम्मेदार एवं जवाबदेह कर्मचारी होता है, जो किसान उत्पादक कंपनी के सम्पूर्ण प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी होता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसान उत्पादन संगठन के प्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र के किसानों, किसान उत्पादन संगठन के शेयर धारकों, कृषि सम्बन्धित सभी सरकारी संस्थानों, हितधारकों, कृषि सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं, प्रसंस्करण इकाइयों तथा कृषि सम्बन्धित अन्य व्यापारिक संस्थाओं के मध्य उपस्थित रहता है तथा इन सभी को एफपीओ से जोड़ने का निरन्तर प्रयत्न करता है।

तकनीकी रूप से मुख्य कार्यकारी अधिकारी को किसान उत्पादक संगठन की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। एक कुशल सीइओ एक सफल, सशक्त, सुसंचालित, एफपीओ का आधार बनता है और दीर्घकालिक परिचालित एफपीओ के निर्माण में अपनी भूमिका को उचित सिद्ध करता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिकाएं निम्न प्रकार हैं:

1. **जवाबदेही** – सीइओ एफपीओ के संचालक मंडल के प्रति सम्पूर्ण रूप से जिम्मेदार एवं जवाबदेह होता है। इसके अतिरिक्त प्रायोजक संस्थाओं तथा क्रियान्वयन करने वाली संस्थाओं के प्रति भी जवाबदेह होता है।

2. **प्रबन्धन** – एफपीओ के उचित प्रबन्धन हेतु सीइओ को एक विश्वसनीय व्यवस्था को स्थापित करने की आवश्यकता होती है, जहां अपक्षपात, विश्वास, पारदर्शिता, जुड़ाव, उर्जा अपने चरम स्तर पर हो तथा सभी एफपीओ को सफल बनाने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित हो।

3. **सदस्यता बढ़ाना** – संचालक मंडल के मार्गदर्शन में जागरूकता के विभिन्न साधनों का उपयोग करते हुए सीइओ को एक नियत समय सीमा में, निर्धारित संख्या में सदस्यों को जोड़ना होता है। सदस्यों द्वारा प्राप्त तय शेयर राशि को एकत्रित कर बैंक खाते में जमा करना है।

4. **हितधारकों को सूचीबद्ध करना** – एक कुशल सीइओ को अपने एफपीओ को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी हितधारकों को सूचीबद्ध कर उनसे जुड़ने की संरचना तथा योजना विकसित करनी चाहिए।

5. **<u>व्यवसाय की रणनीति बनाना</u>** – सीइओ को अपने क्षेत्र में व्यवसाय की संभावनाओं को पहचान कर उपयुक्त व्यवसाय प्रारम्भ करना चाहिए। व्यवसाय हेतु अग्रिम एवं पार्श्व दोनों ही दिशाओं के मद्देनजर सर्वे, बिजनेस प्लान, फंडिंग एजेन्सी, योजना इत्यादि पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए। किसी भी व्यापार योजना की व्यावहारिकता तथा लाभदायिकता को जांचना आवश्यक है।

6. **<u>वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करना</u>** – एफपीओ भारत सरकार के कॉरपोरेट अफेयरर्स मंत्रालय के अन्तर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा पंजीकृत संस्था या रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत कोऑपरेटिव सोसायटी होने के कारण सभी आवश्यक वैधानिक अनुपालनों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नियत समय पर करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने होते हैं।

7. **<u>रिकार्ड संधारण</u>** – सीइओ को निम्न रिकार्ड अपने एफपीओ के लिए बनाने के साथ ही समय–समय पर उन्हें अपडेट करना तथा जांचने चाहिए–
   1. सदस्य रजिस्टर
   2. निदेशक रजिस्टर
   3. अचल सम्पत्ति रजिस्टर
   4. बैठक रजिस्टर
   5. स्टाक रजिस्टर
   6. केश बुक
   7. बैंक बुक
   8. बिक्री रजिस्टर
   9. खरीद रजिस्टर
   10. व्यय वाउचर

8. **<u>क्षमता संवर्धन</u>** – सीइओ के अपने स्वयं की, संचालक मंडल की तथा शेयर धारकों की क्षमता विकसित करने हेतु सभी आवश्यक संस्थाओं, संसाधनों तथा अवसरों की पहचान कर उसे क्रियान्वित करना चाहिए।

9. **MIS (Management Information System) स्थापित करना** – संचालक मंडल तथा बाहरी सहायक एजेन्सियों द्वारा चाही गई जानकारियों या रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु सीइओ को एक MIS स्थापित करना चाहिए जहां सभी सम्बन्धित जानकारियों को संकलित किया जा सके।

10 **योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करना** – प्रायोजक संस्थाओं तथा क्रियान्वयन करने वाली संस्थाओं द्वारा दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीइओ को समुचित प्रयास करने चाहिए। लक्ष्यों की प्राप्ती एफपीओ की सफलता का सूचक है।

11. **दूरदर्शिता विकसित करना** – किसी एफपीओ को दीर्घकालीन संचालित एवं सशक्त बनाने हेतु सीइओ में दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए। प्रायोजित एफपीओ में नियम समय के बाद सहयोग मिलना बंद होने की स्थिति में भी एफपीओ संचालित स्थिति में रहे तथा सीइओ को अपना पारिश्रमिक उसी रूप में मिलता रहे यही सीइओ का लक्ष्य होना चाहिए।

12. **नवीन अवधारणाओं को बढ़ावा देना** – एफपीओ को स्थापित करने हेतु नवीन अवधारणाओं जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण, नवाचार, इन्फॉरमेशन टेक्नोलोजी (IT), आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स (AI) इत्यादि को भी बढ़ावा देना चाहिए।

कृषि आधारित योजनाएं

परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के अन्तर्गत जैविक खेती को क्लस्टर पद्धति और पीजीएस प्रमाणीकरण द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण और विपणन को प्रोत्साहन करना है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत देश के किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में बर्बादी होने पर बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। योजना में केवल प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा पड़ना, ओले पड़ना आदि ही शामिल है। यदि किसी और वजह से फसल का नुकसान होता है तो बीमें की राशि नहीं प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत खेती करने वाले किसानों को अपने खेतों में सिंचाई के लिए उचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के साथ ही सरकार द्वारा सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना के माध्यम से कृषि में विस्तार होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी जिससे अर्थव्यवस्था का पूर्ण विकास होगा।

सूक्ष्म सिंचाई कोष (Micro Irrigation Fund) – इस कोष का प्रमुख उद्देश्य पीएमकेएसवाई–पीडीएमसी के तहत उपलब्ध प्रावधानों से अलग सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने को लकर किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संसाधनों को जुटाने में राज्यों को सुविधा प्रदान करना है।

E-NAM ई–नाम एक इलेक्ट्रोनिक कृषि पोर्टल है जो पूरे भारत में मौजूद एग्री प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी को एक नेटवर्क में जोड़ने का काम करती है, इसका मकसद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध करवाना है।

ग्रामीण भंडार योजना के अन्तर्गत किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह का निर्माण किया जाएगा। भंडार गृह का निर्माण किसान खुद भी कर सकते हैं तथा किसानों से जुड़े संस्थाएं भी कर सकती हैं। इस योजना में किसानों को भंडार गृह का निर्माण करने के लिए लोन प्रदान किया जाएगा तथा लोन पर सब्सिडी भी दी जाएगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना – छोटे और मझोले किसानों को वित्तीय राहत देने के लिए योजना की शुरूआत की गई, इस योजना के तहत किसानों के खातों में हर साल 6000 रूपये भेजे जाते हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) योजना के माध्यम से किसान अपने खेत की मिट्टी की उपज बढ़ा सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत एक कार्ड प्रदान किया जाता है जिसके माध्यम से किसान अपने खेत की मिट्टी की गुणवत्ता जान सकता है।

प्रधानमंत्री कुसुम (KUSUM) योजना का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पैनल की सुविधा दीजाती है। कुसुम योजना के जरिये किसान को दोहरा फायदा होगा और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। दूसरा यदि किसान अधिक बिजली बनाकर ग्रिड भेजते है।

कस्टम हायरिंग सेंटर **(Custom Hiring Centre)** देश के छोटे किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र किराये पर मुहैया कराने के साथ ही मशीनों को सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा। इन सेंटर्स को कृषि यंत्र बैंक भी कहा जाता है। इससे किसान लाखों रूपये तक की कमाई कर सकते हैं।

एग्रीकल्चर इन्फ्रास्टक्चर फण्ड

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) के तहत वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध है। यह स्कीम कृषि आधारित उद्योगों हेतु ब्याज छूट, प्रोत्साहन तथा ऋण गारंटी प्रदान करती है।

वित्त पोषण सुविधा के तहत 2 करोड़ की सीमा तक सभी ऋण 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज छूट पर होगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए होगी। 2 करोड़ रूपये तक के ऋण के लिए सुक्ष्म एवं लघु उद्यम योजना हेतु ऋण गांरटी निधि संस्था ऋण गारंटी कवरेज उपलब्ध है। इस कवरेज के लिए शुल्क सरकार द्वारा अदा किया जाएगा।

इस योजना में मूल्य श्रृंखला की स्थापना एवं आधुनिकीकरण की सुविधा उपलब्ध हैं–

(1) फलोपरांत प्रबन्धन परियोजनाएं–

1. ई–विपणन प्लेटफॉर्म सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं
2. वेयर हाउस
3. सिलोस
4. पैक हाउस
5. जॉच इकाइयां
6. छटाई एवं ग्रेडिंग इकाइयां
7. शीत श्रृंखला
8. लॉजिस्टक सुविधाएं
9. प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र
10. पकाई केन्द्र

(2) सामुदायिक खेती परिसम्पत्ति निर्माण परियोजनाएं–

1. जैविक आदानों का उत्पादन
2. जैव–उत्प्रेरक उत्पादन इकाई
3. सक्षम एवं सटीक कृषि के लिए अवसंरचना
4. निर्यात क्लस्टरों सहित फसलों के क्लस्टरों के लिए आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना प्रदान करने हेतु चिन्हित परियोजनाएं
5. पीपीपी के अन्तर्गत सामुदायिक कृषि परिसम्पत्तियों के निर्माण अथवा फसलोपरांत प्रबन्धन परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय/राज्य/स्थानीय सरकारों व अथवा उनकी एजेंसियों द्वारा प्रोत्साहित परियोजनाएं।

अधिक जानकारी हेतु www.agricoop.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा स्कीम

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की सम्पदा स्कीम खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। यह मॉडर्न इन्फ्रास्टक्चर तथा विकसित सप्लाई चेन को प्रोत्साहित करती है। किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने तथा किसानों की आय को दुगना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के भारी अवसरों का सृजन करने, कृषि उपज में बर्बादी में कमी लाने, प्रसंस्करण तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के नियति के स्तर को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

सम्पदा स्कीम के अन्तर्गत निम्न स्कीमों का क्रियान्वयन होता है–

1. मेगा फूड पार्क
2. कोल्ड चेन
3. खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार
4. कृषि प्रसंस्करण फारवर्ड लिकेंज का सृजन
5. खाद्य प्रसंस्करण एवं गुणवत्ता आश्वासन संरचना

अधिक जानकारी हेतु वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं।

पीएमएफआई – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित यह योजना सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के लिए वित्तीय, तकनीकी एवं कारोबार सहायता प्रदान करती है। इस योजना में इच्छुक को प्रोजेक्ट लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड केपिटल सब्सिडी मिलती है, अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रूपये हो सकती है। लाभार्थी का न्यूनतम योगदान 10% तक होना चाहिए, शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए।

'कट्स' इन्टरनेशनल: परिचय

ग्रामीण विकास की दिशा में एक पहल के रूप में 1983-84 में अपने स्थापना से आगे बढ़कर आज 'कट्स' भारत और विश्व स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन में एक अग्रणी स्थान बना चुका है। अब इसका विस्तार व्यापार एवं विकास, प्रतिस्पर्धा, निवेश, आर्थिक विनिमयन और मानव विकास के क्षेत्रों तक हो चुका है। आज अपने 100 से अधिक कर्मियों के साथ 'कट्स' इन्टरनेशनल इन स्थानों में कार्यरत हैं:

जयपुर स्थित तीन कार्यक्रम केन्द्र:

1. 'कट्स' सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड एनवायरनमेंट
2. 'कट्स' सेंटर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग एवं
3. 'कट्स' सेंटर फॉर कम्पीटिशन, इन्वेस्टमेंट एण्ड इकोनोमिक रेग्युलेशन

- चित्तौड़गढ़ स्थित 'कट्स' सेंटर फॉर ह्यूमन डवलपमेंट
- नई दिल्ली स्थित देहली रिसोर्स सेंटर
- उपभोक्ता सुरक्षा और मूलभूत आर्थिक विकास के क्षेत्र में कार्यरत कलकत्ता केन्द्र
- विदेशों में स्थित पांच रिसोर्स सेंटर:

1. लुसाका, जाम्बिया 2. नैरोबी, केन्या 3. हेनाई, वियतनाम 4. जेनेवा, स्विटजरलैण्ड 5. वॉशिंगटन डी.सी., यूएसए

कट्स मानव विकास केन्द्र
रावला, सेंती, चित्तौड़गढ़ 312 001, राजस्थान
फोनः 91.1472.235472, फैक्सः 91.1472.241472
ई–मेलः chd@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-chd.org